न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्याः 4 / 2025 दायर दिनांकः 09.01.2025

GCMS NO:- 2025/13 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. गजेन्द्र सिंह आ0 जोधराज सिंह जाति राजपूत नि0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
2. देवेन्द्र सिंह आ0 जोधराज सिंह जाति राजपूत नि0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
3. हेमकंवर बेवा जोधराज सिंह जाति राजपूत नि0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
4. अनिता कंवर पुत्री जोधराज सिंह जाति राजपूत नि0 पीपल्या हाल नि0 पत्नी नन्दसिंह जाति राजपूत नि0 धोवडा जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल आ0 नन्दा जाति कुम्हार नि0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
2. पप्पू आ0 नन्दा जाति कुम्हार नि0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।
3. **गोपी आ0 जीवन जाति कुम्हार नि0 पीपल्या तहसील नैनवॉ। (अपीलाण्ट)**
4. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बून्दी चित्तोड क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा तलवास तहसील नैनवॉ।
5. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

अपीलाण्ट/अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 18.08.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्या तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 44 के खसरा नम्बर 223 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है जिस पर खसरा नम्बर 221 व 222 मे से होकर खसरा नम्बर 223 पर जाने के लिए प्रार्थीगण द्वारा 15.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे पेश किया था जिस पर नियमित सुनवाई की जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार दिनांक 10.11.2021 को निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 221 व 222 मे से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्व अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा मे अपील संख्या 2022/01 इस आशय से पेश की कि अपीलाण्ट को सूनवाई/जवाब का अवसर नही दिया गया जिससे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2022 को निर्णय पारित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 क के नियम 69 की पालना करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जिस क्रम मे माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10.06.2022 की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ से पुनः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 क के नियम 69 की पालना करते हुए रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2024 को प्रार्थीगण के खेत पर जाने के लिए खसरा नम्बरान 215, 219, 221 व 222 मे से रास्ता दिये जाने बाबत् निर्णय पारित किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा पुनः माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां अपील संख्या 2024/56 पेश की जिसमे माननीय द्वारा दिनांक 07.08.2024 को निर्णय पारित कर अपीलांट को सूनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 के प्रकाश मे नवीन निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 07.08.2024 की पालना मे पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका ने उपस्थिति पेश की तथा अपीलाण्ट/अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर ने उपस्थिति पेश की। अपीलाण्ट/अप्रार्थी संख्या 3 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 223 पर जाने के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता नही है तथा खसरा नम्बर 221 व 222 मे से होकर श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट

अनुसार यदि रास्ता दिया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ती नही होगी। जिस पर अपीलाण्ट/अप्रार्थी संख्या 3 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 221 व 222 के मध्य की मेड पर होकर कोई रास्ता मौजूद नही है और ना ही कभी रहा है। प्रार्थीगण द्वारा बताये गए कथित रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण ने आज दिन तक भी नही किया है। प्रार्थीगण ने इस चरण के समस्त तथ्य झूठे व मनगढन्त अंकित किये है तथा प्रार्थीगण ने परिशिष्ट अ भी गलत बनाया है। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि पर जाने का रास्ता शुरू से ही भूमि खसरा नम्बर 224, 234, 237, 238 व 869/238 की मेड पर होकर रहा है। उक्त रास्ता वर्तमान मे चालू है तथा प्रार्थीगण इसी रास्ते पर होकर आवागमन कर रहे है। इस रास्ते के अलावा ग्राम पीपल्या से सुंसाडिया जाने वाले पक्के डामर रोड से फटकर भैरू जी महाराज के पास होकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर पहुंचते है। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने के दो रास्ते मौजूद होने से नवीन रास्ता कायम करना उचित नही है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष कें विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के पूर्व निर्णयों, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, संलग्न दस्तावेजों व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 223 पर पहुंचने के लिए तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2025 के अनुसार ग्राम पीपल्या स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 223 पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 221 व 222 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट **"ग"** नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x चौडाई	क्षेत्रफल
221	बाबूलाल कुम्हार (खातेदारी)	बा04	44 गट्ठा	x 1 गट्ठा	44 वर्गगट्ठा
					अर्थात 0.0178 हैक्टयर
222	गोपी कुम्हार (खातेदारी)	बा04	44 गट्ठा	x 1 गट्ठा	44 वर्गगट्ठा
					अर्थात 0.0178 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 88 वर्गगट्ठा या 0.0256 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट **"ग"** के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

नक्शा ट्रेस गाव पीपल्या
नैनवां
ला - बूंदी
राज.

परिशिष्ठ = 25

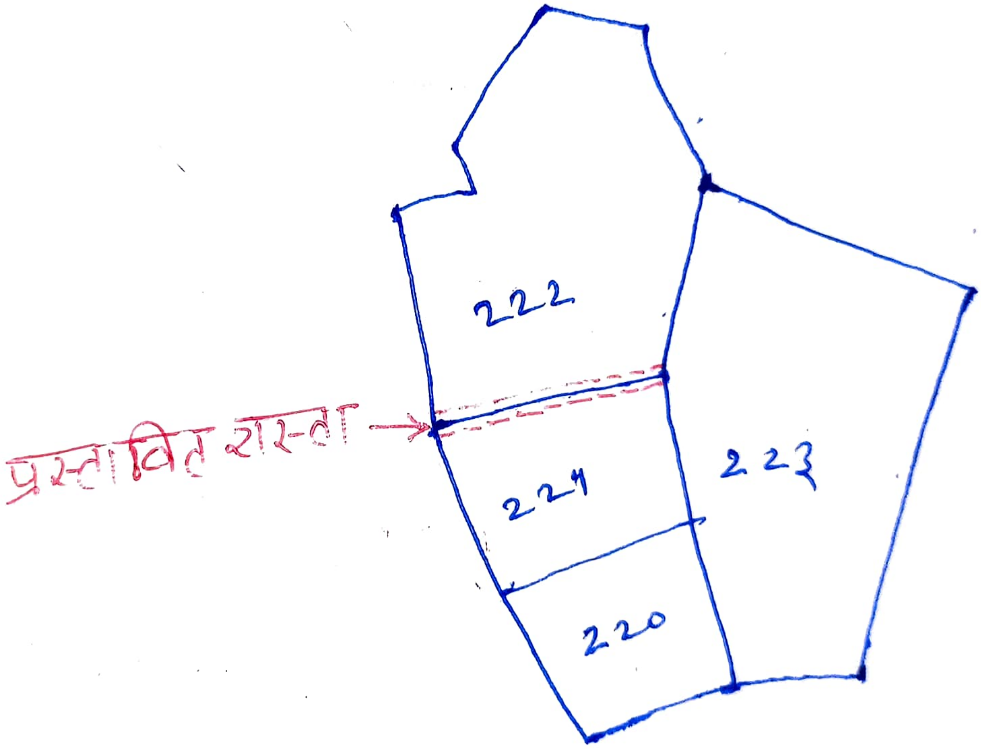

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

नैनवां जिला बूंदी पीपल्या
16/06/25

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः— रीडर / 2025 / 547 दिनांकः— 3.9.25

प्रेषितिः—

तहसीलदार

नैनवां।

विषयः— प्रकरण संख्या 4/धा./2025 बउनवान [illegible]

बनाम [illegible] मे पारित निर्णय की पालना रिपोर्ट पेश करने बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के उक्त प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 18/8/25 की प्रति संलग्न कर लेख है कि आप संलग्न निर्णय की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

संलग्नः— उपर्युक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ